फा.सं. डब्ल्यू-02/0003/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-VIII/20

भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 03 अप्रैल, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **केंद्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 तथा वर्ष 1992 के आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के/उस स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-लोउवि (डब्ल्यूसी) के पैरा 4 का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-II में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार त्रैमासिक औसत सूचकांक 1099 (1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते की किश्तें प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्तूबर से देय हो जाती हैं।

2. इस विभाग के दिनांक 03.01.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1992 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

(क) जिस तारीख से देय है : 01.04.2020

(ख) दिसम्बर, 2019 – फरवरी, 2020 तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संबंधित 1960=100)

दिसम्बर, 2019	7533
जनवरी, 2020	7533
फरवरी, 2020	7487
तिमाही का औसत	7518

(ग) **मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 6419 (7518-1099)**

(घ) **मूल्य सूचकांक की तुलना में % वृद्धि: 584.1%** (6419/1099*100)

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें

मूल वेतन प्रतिमाह	महंगाई भत्ते की दर
3500/- रुपए तक	वेतन का 584.1% परन्तु न्यूनतम 12838/- रुपए
3500/- रुपए से अधिक तथा 6500/- रुपए तक	वेतन का 438.1% परन्तु न्यूनतम 20444/-रुपए
6500/-रुपए से अधिक तथा 9500/- रुपए तक	वेतन का 350.5% परन्तु न्यूनतम 28477/- रुपए
9500/- रुपए से अधिक	वेतन का 292% परन्तु न्यूनतम 33298/- रुपए

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.04.2020 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि निष्प्रभावन की पुरानी प्रणाली के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की दर से 100 अंकों की वृद्धि के लिए 200/- रुपए तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7518 पर 13625.75 रुपए मंहगाई भत्ता देय होगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

(नरेश कुमार)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

(नरेश कुमार)
अवर सचिव